1

ŗ.,

## RAJYA SABHA

Friday, the 27th August, 1993/5 Phadra, 1915 (Saka)

ne House met at eleven of the clock, I Chairman in the Chair,

#### **OBITUARY REFERENCE**

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shrimati Usha Barthakur, a former Member of the Rajya Sabha from the State of Assam on the 24th August, 1993 at Guwahati.

Shrimati Usha Barthakur was born in 1912 at Guwahati. She founded the Nowgong Higher Secondary School and served as its Principal. An active social and political worker, Shrimati Barthakur organised social welfare centres, and was associated with several organizations connected with education and upliftment of women...(Interruptions)... Please. On this occasion at least you should be shent.

Shrimati Barthakur started her Parliamentary career in 1952 as a Member of the Assam Legislative Assembly and was Deputy Minister-in-charge of Social Welfare and Medical Care for a short period. She represented the State of Assam in this House from April 1966 to April 1972. Shrimati Barthakur was an active participant in the proceedings of the House, particularly regarding the Welfare of Women.

In the passing away of Shrimati Usha Barthakur the country was lost a dedicated worker in the cause of social reform and economic growth.

We deeply mourn the passing away of Shrimati Usha Barthakur.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon, Members then stood in silence for one minute.)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Financial assistance for maintenance of posts of Hindi teachers

\*441. SHRI PRAVAT KUMAR
SAMANTARAY ;†
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of HUMAN RE-SOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether his Ministry have intimated its decision to Orissa Government for continued financial assistance in the 8th plan period as in the 7th plan period for maintenance of posts of Hindi teachers created and approved by the Central Government in 7th Plan period;
- (b) if so, whether financial assistance to that effect has been released; and
- (c) if not, what are the reasons for delay?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

#### Statement

In December 1990, the Ministry had intimated the State Government of Orissa that financial assistance for maintenance of 600 posts of Hindi teachers sanctioned durning the 7th Plan would be provided to the State Government in the 8th Plan also. However, when the Ministry formally considered the Scheme of Appoint-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Pravat Kumar Samantaray. ment of Hindi Teachers for continuance in the 8th Plan, it was decided to continue the Scheme during the 8th Plan subject to the condition, applicable to all Staes/UTs, that the liability of maintenance of Hindi teachers appointed the States/UTs prior to the commencement of the 8th Plan would rest the respective State Governments/UT Administrations. The Scheme was circulated to all non-Hindi speaking States/UTs including Orissa on 3rd June 1992, before commencement of the academic session 1992-93. In view of the earlier intimation conveyed to the Government of Orissa on 10th December 1990, grant-inaid has already been released for maintenance of the 600 posts of Hindi teachers in the financial year 1990-91 1991-92 through sanction letters dated 10.12.90 and 23.1.92. In accordance with the general policy in regard to plan assistance for posts and also on account of the condition incorporated in the letter dated 3rd June 1992, grant for maintenance of the posts relating to the 7th Paln is not admissible. Grant-in-aid would, however, be available to the Government of Orissa for 600 Hindi teachers appointed in 1991-92 during the 8th The State Government has been apprised of the position in this regard. The State Government have again represented to the Government of India. This representation will be duly considered.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMAN-TARAY: Sir, this is regarding consideration of financial assistance for maintenance of Hindi teachers in non-Hindi-speaking States. This Scheme was introduced by the Central Government in the Seventh In December, 1990 the Plan period. Government of India has communicated to the State Government of Orissa that though it had been decided earlier that the assistance would not be continued in the Eighth Plan period, the Government of India decided later that the assistance would continue to be there for the maintenance of Hindi teachers in Orissa. The Central Government extended the assistance in 1990-91. It extended the assistance in 1991-92 also. But from 1993 the Central Government is not extending

any financial assistance for the main tenance of Hindi teachers  $\Omega_r$ other hand, the State Government has not made any Budgetary pro vision on the assurance of the Centra Government that one hundred per cost would be borne by the Central vernment. That is why all these H teachers are not getting salaries for the last six months. I would like to know by when the Central Government w" clear this case and by what time money will be released in order to release the unpaid salary to the Hindi teachers in the State of Orissa.

KUMARI SELJA: As the hon, Mem. ber has pointed out just now in the beginning is was decided that the post! would be carried over to the next Plan. but subsequently the decision was chang led and it was decided that no new post would be created under the Until then it was to be financed by us We also had two Annual Plans before the Eighth Plan came. For that provided the money. Now, I afraid we can only consider it till 1992 That is under the consideration of the Government.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTA RAY: I would like to quote the letter of the Central Government. It says:

"However, in view of the difficultie due to financial constraints explaine by the State Government for maintenance of the posts of Hindi teacher sanctioned during the Seventh. Plait has been decided to proide finacial assistance to the State Government fir maintenance of 600 posts the Hindi teachers during the Eighth Plaalso."

I think after this letter there hardly any ambiguity or any illusion. think thereafter no communication habeen sent by the Government of Indion the going back of their commitmen Now, for the benefit of the House would like to have an assurance from the Minister if she will ensure that the Hind; teachers will be paid their salar as usual and all the arrears which have

not been paid for the last six months. The Orissa High Court has also directed the release of the salary to them. She should also assure the House by what time the money she should also assure the House by what time the money will be released.

KUMARI SELJA: The posis created in the Seventh Plan could not be carried over to the Eighth Plan, but we would honour the payment of salary for the 600 posis which have been created subsequently.

MR. CHAIRMAN: Who will pay for the others? The State Government?

KUMARI SELJA: Yes, the State Go-

SHRI SARADA MOHANTY: In her reply the hon. Minister has stated that the State Government has again represented to the Government and that this representation would be duty considered. I would like to know from the Minister when they received that representation and by when they are going to consider it. The teachers are on strike and they will die if you consider it after two or three years. I want to know the positive date by when she is going to consider their case for the release of the amount.

KUMARI SELJA: Sir, we have a positive attitude towards this. There is no problem. The payment of the arrears that are due between the two Annual Plans will also be considered by the Central Government. There is no problem.

श्री शंकर दयाल सिंह: त्रभापित जी,
मुझे खुशी है कि उड़ीसा के हमारे दो
माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है ।
में सरकार से इस संबंध में जानना चाहता
हूं कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा,
हिन्दी संस्था संघ, उत्कल हिन्दी प्रचार
सभा जैसी संस्थाय प्रपने-प्रपने क्षेत्र में
हिन्दी के प्रचार और प्रसार में लगी हैं और
भारत सरकार वहां हिन्दी जिक्षकों को
भेजती है, जिसका पूरा वेतन और वित्तीय
भार केन्द्र सरकार उठाती है। मैं इस
संबंध में सरकारसे जानना चाहता हूं कि

क्या यह बात सही है कि हिन्दी शिक्षकों के लिए जो केन्द्रीय वित्त सहायता राज्यों को दी जाती है उसका उपयोग वे हिन्दी शिक्षकों को वेतन तथा हिन्दी प्रचार-प्रसार में नहीं लगा कर उसका प्रयोग दूसरे कामों में लगाते हैं, क्या ऐसी भी शिकायत मिली हैं ? ग्रगर मिली है, तो इसका विवरण क्या है?

to Ouestions

KUMARI SELJA: Sir, there is another question coming up on this.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGHT

KUMARI SELJA: It is another question.

श्री शंकर दयाल सिंह: यह दूसरा कैसे हो गया? मैं पूछ रहा हूं कि जो पैसा यहां से भेजते हैं, वह पैसा इनकी पे में न देकर दूसरे कामों में लगा देते हैं यह शिकायत मिली है कि नहीं? यह तो इसी से संबंधित है।

सभापति: श्री वी० एम० जाधव।

श्री विठठल राव माघवराव सभापति जी, अभी मान्यवर मंत्रीजी जवाब दिया है कि जो केन्द्रीय विद्यालय है उड़ीसाँ ग्रीर भारत के ग्रन्य क्षेत्रों में, उनमें हिन्दी शिक्षकों की पूरी तादाद नहीं इसके ग्रलाव। ग्रभी मेरेमित श्री शंकर दयाल सिंह जी प्रश्न पूछ रहे थे, हम दोनों ही संसदीय राजभाषा समिति की बैठकों में जाते हें तो ज्ञात होता है कि जो केन्द्रीय सरकार के दफ्तर है वहां भी हिन्दी शिक्षकों की पूरी तादाद नहीं है जबकि हमने देश की राजभाषा हिन्दी बनाने लिए पालिपामेंट में कानुन बनाकर तम किया है। तो केन्द्रीय विद्यालय तथा सरकारी दफ्तरों में हिंदी हमें पढ़ाना है और उसमें जहां तक सरकार का सर्कुलर है कि हिन्दी के लिए कोई "कंस्ट्रेट म्राफ रिसोर्सेस को बात नहीं है, तो वहां पूरी तरह इसका इंतजाम किया जाएगा या हो, यह मैं माननीय मंत्रजी से जानन⊥ चहित हूं। कुमारी गौलजा : सभापति जी, यह प्रश्न केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि हिन्दी के लिए हम पूरी तबज्जो देते है श्रीर उसी के श्रंतर्गत यह स्कीम "श्रपर ट्राएंगुलर सेकंडरी लेवल" के लिए है जिसमें हमने टीचर्स का प्रीविजन किया है।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापित जी, किसी भी देश की सामाजिक समस्यात्रों और एकता के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संविधान निर्मातात्रों ने भी संविधान की धारा 343 में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि इस संघ की भाषा हिंदी होगी और ज्यादा-से-ज्यादा 15 वर्ष तक अंग्रेजी चलती रहेगी, लेकिन आज 43 वर्ष संविधान को लागू हुए हो गए है हिंदी राष्ट्र की भाषा नहीं बन पाई हैं। इस कारण कभी-कभी विवाद खड़े हो जाते हैं, इसलिए में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हिंदी इस देश की, संघ की भाषा कब तक बन पाएगी?

MR. CHAIRMAN: Your supplementary contains a larger question. This question is about teachers. The Minister is not obliged to answer this.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Let them learn some Tamil before they ask others to learn Hindi... (Interruptions)...

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Mr. Chairman, Sir, this is an important question put by the Members from Orissa. When it comes to the reply, I find that the reply is very vague, complicated. I cannot comprehend it properly. I want the hon Minister to throw light on the different aspects of the reply. There are contradictory statement... (Interruptions)... May I put my question? I need your protection.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Member put her question.

SHRIMATI CHANDRIKA ABHI-NANDAN JAIN: There are contradictory statements. The very first sentence says, ". maintenance of 600 posts of Hindi teachers sanctioned during the Seventh Plan would be provided to the State Government in the Eighth Plan also." So you have made a provision in your budget to provide for the posts of 600 teachers in the Eighth Plan also, if I understood your reply correctly.

In the latter part of your main reply you said, "In accordance with the general policy... grant for maintenance of the posts relating to the Seventh Plan is not admissible." Will you throw light on this aspect of payment of salaries to the 600 teachers? What is the position when it comes to the Eighth Plan?

Again you have said that up to 1991-92 you have paid their salaries. What is going to happen in future? I mean, thereafter, are they going to be paid by the Central Government or the will State Government have to look after their salaries?

MR. CHAIRMAN: Actually she had answered the question. If she wants to give the answer again... (Interruptions).

SHRIMATI CHANDRIKA ABHI-NANDAN JAIN: Finally, this is a part of the three language formula. Is she going to continue with the three-language formula? Is there any move to review the three-language formula?

KUMARI SELJA: Mr. Chairman, Sir, we are committeed to the three language formula

There is no contradiction in the reply. Whatever posts have been sanctioned during the Seventh Plan and all the Plans, we would carry them forward to the Eighth Plan. But then subsequently we had two Annual Plans coming up. That six hundred posts that were created in the Seventh Plan, we took them over and we paid for them in these two Annual Plans also. But subsequently we have decided that these would not be carried over to the Eighth Plan which commenc-

to Questions

ed after the Annual Plan. It was intithe new Vice-Chancellod is in the promated to the State Governments that they would have to carry that liability. (Interruptions).

442. (The questioner (Chaudhary Harmohan Singh) was absent, for answer,

# बनारस हिन्दू विश्व विद्यालयमें रिःत पद

\*443. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: ्या मानव संत्राधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इस समय विभाग-वार प्रोफेसरों के कितने-कितने पद रिक्त हैं श्रीर इनमें से प्रत्येक पद किस-किस तिथि से रिक्त है; श्रीर
- (ख) इन रिक्तियों के क्या कारण हैं ग्रौर इन सभी पदों की कब तक भर दिये जाने की संभावना है?

मानव संआधन विकास मंत्रालय (शिक्षा श्रौर संस्कृत विकास) में उप मंत्री (कुमारी शंतजा): (क) श्रौर (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

#### विवरण

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (व. हि. वि.) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, भ्राज की स्थिति के अनुसार प्रोफेसरों के ग्रेड में 81 पद रिक्त हैं भौर विभाग-वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

कम सं¤	विभागकानाम	प्रोफेसरों के रिक्त पदों की संख्या	
1	2	3	
प्रौद्य	गिकी संस्थान		
1.	यांत्रिकी इंजीनियरी वि	वेभाग 1	
9	मिविल इंजीनियरी वि	भाग २	

 इलॅक्ट्रोनिकी इजीनिरीऽ सी.आर.एम.टी. विभाग

4. प्रयुक्त भौतिकी विज्ञान विभाग 5. प्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग 6. प्रयुक्त गणित विभाग 7. कम्प्यूटर इंजीनियरी विभाग 8. मेट. इंजीनियरी विभाग 10. सेरीमक इंजीनियरी विभाग 11. ग्रौष्प्र-निर्माण विज्ञान विभाग 12. वायो मेड. इंजीनियरी क्षिमाग 13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल 14. विद्युत इंजीनियरी विभाग 15. कृषि विज्ञान विभाग 16. ग्ररीर विज्ञान विभाग 17. कीट विज्ञान विभाग 18. कृषि ग्रथंगास्त्र विभाग 19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 10. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य ग्रालक्या विभाग 23. ग्रल्य चिकित्सा विभाग 24. पी.एस.ए विभाग 25. ग्रौषघ विज्ञान विभाग 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 27. ग्रार.टी. ग्रौर ग्रार. एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग 21. इं.एन.टी. विभाग 21. इं.एन.टी. विभाग	1	2	3
<ul> <li>5. प्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग</li> <li>6. प्रयुक्त गणित विभाग</li> <li>7. कम्प्यूटर इंजीनियरी विभाग</li> <li>8. मेट. इंजीनियरी विभाग</li> <li>9. रसायन इंजीनियरी विभाग</li> <li>10. सेरीमक इंजीनियरी विभाग</li> <li>11. ग्रैष्य-निर्माण विज्ञान विभाग</li> <li>12. बायो मेड. इंजीनियरी स्कूल</li> <li>13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल</li> <li>14. विद्युत इंजीनियरी विभाग</li> <li>15. कृषि विज्ञान विभाग</li> <li>16. शरीर विज्ञान विभाग</li> <li>17. कीट विज्ञान विभाग</li> <li>18. कृषि ग्रथंशास्त्र विभाग</li> <li>19. कृष्त विज्ञान संस्थान</li> <li>19. स्कूल कृष्त विभाग</li> <li>10. काया चिकित्सा विभाग</li> <li>21. रोग विज्ञान विभाग</li> <li>22. शल्य शालक्या विभाग</li> <li>23. शल्य चिकित्सा विभाग</li> <li>24. पी.एस.ए विभाग</li> <li>25. ग्रौषध विज्ञान विभाग</li> <li>26. ग्रापविक जीव-विज्ञान विभाग</li> <li>27. ग्रार टी. ग्रौर ग्रार एम. विभाग</li> <li>28. बाल चिकित्सा विभाग</li> <li>29. ई.एन.टी. विभाग</li> <li>20. ई.एन.टी. विभाग</li> </ul>	4. प्रयुक्त भौतिकी विज्ञान विभाग		1
6. प्रयुक्त गणित विभाग 7. कम्प्यूटर इंजीनियरी विभाग 8. मेट. इंजीनियरी विभाग 10. सेरीमिक इंजीनियरी विभाग 11. ग्राष्ट-निर्माण विज्ञान विभाग 12. बायो मेड. इंजीनियरी स्कूल 13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल 14. विद्युत इंजीनियरी विभाग 15. कृषि विज्ञान विभाग 16. भरीर विज्ञान विभाग 17. कीट विज्ञान विभाग 18. कृषि ग्रथंभास्त्र विभाग 18. कृषि ग्रथंभास्त्र विभाग 19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 20. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य शालक्या विभाग 23. शल्य चिकित्सा विभाग 24. पी.एस.ए विभाग 25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 27. ग्रार टी. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग			1
8. मेट. इंजीनियरी विभाग 9. रसायन इंजीनियरी विभाग 10. सेरेमिक इंजीनियरी विभाग 11. ग्राष्ट-निर्माण विज्ञान विभाग 12. बायो मेड. इंजीनियरी स्कूल 13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल 14. विद्युत इंजीनियरी विभाग 15. कृषि विज्ञान विभाग 16. भरीर विज्ञान विभाग 17. कीट विज्ञान एवं कृषि जन्तु विज्ञान विभाग 18. कृषि ग्रथंभास्त्र विभाग 1 कृल 4 विकित्सा विज्ञान संस्थान 19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 20. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य शालक्या विभाग 23. शल्य शालक्या विभाग 24. पी.एस.ए विभाग 25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 27. ग्रार.टो. ग्रीर ग्रार.एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग	_		1
9. रसायन इंजीनियरी विभाग 10. सेरेमिक इंजीनियरी विभाग 11. ग्रीष्ध-निर्माण विज्ञान विभाग 12. बायो मेड. इंजीनियरी स्कूल 13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल 14. विद्युत इंजीनियरी विभाग 2 कुल 22 हिष विज्ञान विभाग 16. ग्रारीर विज्ञान विभाग 17. कीट विज्ञान विभाग 18. हिष अर्थणास्त्र विभाग 18. हिष अर्थणास्त्र विभाग 19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 20. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य गालक्या विभाग 23. शल्य जालक्या विभाग 24. पी.एस.ए विभाग 25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 27. ग्रार.टो. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग	•		1
10. सेरेमिक इंजीनियरी विभाग  11. श्रौष्ध-निर्माण विज्ञान विभाग  12. बायो मेड. इंजीनियरी स्कूल  13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल  14. विद्युत इंजीनियरी विभाग  2 कुल  22  हिषि विज्ञान संस्थान  15. हिषि विज्ञान विभाग  16. शरीर विज्ञान विभाग  17. कीट विज्ञान विभाग  18. हिष श्रथंशास्त्र विभाग  18. हिष श्रथंशास्त्र विभाग  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया चिकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. शल्य शालक्या विभाग  23. शल्य शालक्या विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. श्रौषध विज्ञान विभाग  26. श्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. श्रार टी. श्रौर श्रार. एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टी. विभाग	8. मेट	. इंजीनियरी विभाग	2
11. श्रौष्ध-निर्माण विज्ञान विभाग 12. वायो मेड. इंजीनियरी स्कूल 13. वायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल 14. विद्युत इंजीनियरी विभाग 2 कुल 22 हिष विज्ञान विभाग 15. हिष विज्ञान विभाग 17. कीट विज्ञान विभाग 18. हिष श्रथं भास्त्र विभाग 18. हिष श्रथं भास्त्र विभाग 19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 20. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य भालक्या विभाग 23. शल्य चिकित्सा विभाग 24. पी.एस.ए विभाग 25. ग्रौषध विज्ञान विभाग 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 27. ग्रार.टो. ग्रौर ग्रार. एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग	9. रस	ायन इंजीनियरी विभाग	1
12. बायो मेड. इंजीनियरी स्कूल 13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल 24. विद्युत इंजीनियरी विभाग 25. कृषि विज्ञान विभाग 16. शरीर विज्ञान विभाग 17. कीट विज्ञान विभाग 18. कृषि अर्थशास्त्र विभाग 19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 20. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य शालक्या विभाग 23. शल्य चिकित्सा विभाग 24. पी.एस.ए विभाग 25. ग्रौषध विज्ञान विभाग 26. ग्रापविक जीव-विज्ञान विभाग 27. ग्रार टी. ग्रौर ग्रार. एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग	10. सेरे	मिक इंजीनियरी विभाग	3
13. बायो-केिकल इंजीनियरी स्कूल 24. विद्युत इंजीनियरी विभाग 25. कृषि विज्ञान विभाग 16. भरीर विज्ञान विभाग 17. कीट विज्ञान विभाग 18. कृषि अर्थभास्त्र विभाग 19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 20. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य भालक्या विभाग 23. शल्य चिकित्सा विभाग 24. पी.एस.ए विभाग 25. भ्रौषध विज्ञान विभाग 25. भ्रौषध विज्ञान विभाग 26. भ्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 27. भ्रार.टो. भ्रौर भ्रार. एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग	11 ग्री	ष्ध-निर्माण विज्ञान विभाग	2
कुल 22  हिषि विज्ञान संस्थान  15. कृषि विज्ञान विभाग  16. प्रारीर विज्ञान विभाग  17. कीट विज्ञान विभाग  18. कृषि अर्थ भास्त विभाग  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया चिकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. शल्य भालक्या विभाग  23. शल्य चिकित्सा विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. स्रौषध विज्ञान विभाग  26. स्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. स्रार.टो. स्रौर स्रार. एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टी. विभाग	12. बायो मेड. इंजीनियरी स्कूल		1
कृत 22  हिषि विज्ञान संस्थान  15. कृषि विज्ञान विभाग  16. शरीर विज्ञान विभाग  17. कीट विज्ञान एवं कृषि जन्तु विज्ञान विभाग  18. कृषि ग्रथंशास्त्र विभाग  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया चिकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. शल्य शालक्या विभाग  23. शल्य ज्ञालक्या विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. ग्रौषध विज्ञान विभाग  26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. ग्रार.टो. ग्रौर ग्रार. एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टो. विभाग	13. बार	पो-केिकल इंजीनिय <b>री स्कू</b> ल	2
हृषि विज्ञान संस्थान  15. कृषि विज्ञान विभाग  16. शरीर विज्ञान विभाग  17. कीट विज्ञान एवं कृषि जन्तु विज्ञान विभाग  18. कृषि अर्थशास्त्र विभाग  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया चिकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. शाल्य शालक्या विभाग  23. शाल्य चिकित्सा विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. ग्रौषध विज्ञान विभाग  26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. ग्रार.टो. ग्रौर ग्रार. एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टी. विभाग	14. विक	युत इंजीनियरी विभाग	2
15. कृषि विज्ञान विभाग  16. प्रारीर विज्ञान विभाग  17. कीट विज्ञान एवं कृषि जन्तु  विज्ञान विभाग  18. कृषि अर्थपास्त्र विभाग  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया चिकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. याल्य प्रालक्या विभाग  23. याल्य चिकित्सा विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. ग्रौषध विज्ञान विभाग  26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. ग्रार.टो. ग्रौर ग्रार. एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टी. विभाग		<del>क</del> ुल	22
16. प्रारीर विज्ञान विभाग  17. कीट विज्ञान एवं कृषि जन्तु विज्ञान विभाग  18. कृषि अर्थपास्त्र विभाग  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया चिकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. घल्य घालक्या विभाग  23. घल्य चिकित्सा विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. स्रौषध विज्ञान विभाग  26. स्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. स्रार.टो. स्रौर स्रार. एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टी. विभाग	कृषि विः	तान संस्थान	
17. कीट विज्ञान एवं कृषि जन्तु विज्ञान विभाग  18. कृषि अर्थं शास्त्र विभाग  कृत  4  विकित्सा विज्ञान संस्थान  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया विकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. शाल्य शालक्या विभाग  23. शाल्य जीतन्सा विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. ग्रीषध विज्ञान विभाग  26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. ग्रार.टो. ग्रीर ग्रार.एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टी. विभाग	15. कृति	षे विज्ञान विभाग	1
विज्ञान विभाग 1  18. कृषि अर्थ भास्त्र विभाग 1  कृत 4  विकित्सा विज्ञान संस्थान  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 1  20. काया चिकित्सा विभाग 2  22. शल्य शालक्या विभाग 1  23. शल्य शालक्या विभाग 4  24. पी.एस.ए ं विभाग 1  25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 1  26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2  27. ग्रार.टो. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग 1  28. बाल चिकित्सा विभाग 1  29. ई.एन.टी. विभाग 2	16. शर	ीर विज्ञान विभाग	1
18. कृषि अर्थशास्त्र विभाग 1 कृत 4  चिकित्सा विज्ञान संस्थान  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 1 20. काया चिकित्सा विभाग 2 21. रोग विज्ञान विभाग 1 23. शल्य शालक्या विभाग 1 24. पी.एस.ए विभाग 1 25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 1 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2 27. ग्रार.टो. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2			1
चिकित्सा विज्ञान संस्थान  19. मूलभूत सिद्धांत विभाग  20. काया चिकित्सा विभाग  21. रोग विज्ञान विभाग  22. शल्य शालक्या विभाग  23. शल्य चिकित्सा विभाग  24. पी.एस.ए विभाग  25. ग्रौषध विज्ञान विभाग  26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग  27. ग्रार.टो. ग्रौर ग्रार. एम. विभाग  28. बाल चिकित्सा विभाग  29. ई.एन.टी. विभाग	18. कृति	षे ग्रर्थं शास्त्र विभाग	_
19. मूलभूत सिद्धांत विभाग 20. काया चिकित्सा विभाग 21. रोग विज्ञान विभाग 22. शल्य शालक्या विभाग 23. शल्य चिकित्सा विभाग 24. पी.एस.ए ं विभाग 25. स्रौषध विज्ञान विभाग 26. स्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 27. स्रार.टो. स्रौर स्रार. एम. विभाग 28. बाल चिकित्सा विभाग 29. ई.एन.टी. विभाग		कुल	4
20. काया चिकित्सा विभाग 1 21. रोग विज्ञान विभाग 2 22. शाल्य शालक्या विभाग 1 23. शाल्य चिकित्सा विभाग 4 24. पी.एस.ए ं विभाग 1 25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 1 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2 27. ग्रार.टो. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2	चिकित्स		
21. रोग विज्ञान विभाग 2 22. शल्य शालक्या विभाग 1 23. शल्य चिकित्सा विभाग 4 24. पी.एस.ए ंविभाग 1 25. स्रौषध विज्ञान विभाग 1 26. स्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2 27. स्रार.टो. स्रौर स्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2	19. मू	लभूत सिद्धांत विभाग	1
22. शत्य शालक्या विभाग 1 23. शत्य चिकित्सा विभाग 4 24. पी.एस.ए ं विभाग 1 25. श्रीषध विज्ञान विभाग 1 26. श्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2 27. श्रार.टी. श्रीर श्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2	20. क	ाया चिकित्सा विभाग	1
23. पाल्य चिकित्सा विभाग 4 24. पी.एस.ए ंविभाग 1 25. श्रौषध विज्ञान विभाग 1 26. श्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2 27. श्रार.टी. श्रीर श्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2			2
24. पी.एस.ए ं विभाग 1 25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 1 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2 27. ग्रार.टी. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2			1
25. ग्रीषध विज्ञान विभाग 1 26. ग्राणविक जीव-विज्ञान विभाग 2 27. ग्रार.टो. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2		• • • •	4
26. ग्राणिवक जीव-विज्ञान विभाग       2         27. ग्रार.टी. ग्रीर ग्रार. एम. विभाग       1         28. बाल चिकित्सा विभाग       1         29. ई.एन.टी. विभाग       2		• •	1
27. श्रार.टी. श्रीर श्रार. एम. विभाग 1 28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2			1
28. बाल चिकित्सा विभाग 1 29. ई.एन.टी. विभाग 2		- · · · ·	_
29. ई.एन.टी. विभाग 2			1
			1
<b>नुस</b> 17	29. ई.।	एन.टी. विभाग -	2
		শুন	17